



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29988/2026

राजेंद्र प्रसाद यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: राजेश कुमार

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 90/2026, अंतर्गत धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- उतरांव, जनपद-प्रयागराज में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के पश्चात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य उसके विरुद्ध उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसने मृतका के साथ उत्पीड़न किया था। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, किंतु वर्तमान मामले में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः, अभिरक्षात्मक पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 12.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदान की जाती है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त (ससुर) की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को देखते हुए तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिपादित अधिदेश तथा इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने के संबंध में **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में निर्धारित दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदकगण जमानत पर रिहा किए जाने की पात्र हैं। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक- **राजेंद्र प्रसाद यादव**, उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: –

i. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/जांच में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

iv. आवेदक निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जाए।

9. आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित हो, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
11. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णित, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित तथा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 29.05.2026 को निर्णित, में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अगस्त 25, 2026